



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 30.07.2024

- महिला सम्बन्धी अपराधों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या की घटना कारित करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0309/2024 धारा 80/85 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा दिनांक 29.07.2024 को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0- 0309/2024 धारा 80/85 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 30.07.2024 को वांछित अभियुक्त 1.रामप्रताप सिंह पुत्र आजाद सिंह निवासी दलिकपुर महाराजपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को हरलाल निवादा मोड से करीब 20 कदम दूरी पर गाँव हरलाल निवादा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामप्रताप सिंह पुत्र आजाद सिंह निवासी दलिकपुर महाराजपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0309/2024 धारा 80/85 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह
2. का0 191 केशव
3. का0 829 अर्जुन सिंह